

44

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
UDYOG BHAWAN, TILAK MARG,
JAIPUR

Ref.No.RFC/PA-21(1)/ 2895

Dated : 03.12.2012

ORDER

Consequent upon promulgation of "Right to hearing Act, 2012"; and directions received from Industries Department, Government of Rajasthan vide letter No. F8 (4)Industry/1/2012 dated 26.10.12, a new cell nomenclatured as "Right to hearing Cell" is hereby created with immediate effect under the supervision of DGM (Law-RTI).

The Executive Director of the Corporation shall act as Nodal Officer.

All concerned are advised to make a note of above and act accordingly.



(Yaduvendra Mathur)
Chairman & Managing Director

Copy to:

1. All BO/SOs/A&I, Ajmer/Jodhpur
2. GM(Operations)/GM(A&I)
3. All DGMs/DGMs(Operation I to VI)
4. Standard circulation at HO

Copy also to:

Dy. Secretary, Industries (Gr.1) Department, Government of Rajasthan
for information.

5

राजस्थान वित्त निगम

(विधि अनुभाग)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर - 302 005.

क्रमांक : राविनि/विधि/591

दिनांक : 07.02.2013

परिपत्र

विषय : जनसुनवाई कर आमजन के परिवादों का त्वरित समाधान करने बाबत ।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर की ओर से आमजन एवं जन प्रतिनिधियों के अभियोगों एवं शिकायतों पर शीघ्र एवं त्वरित कार्यवाही हेतु परिपत्र संख्या प.3(39)प्र.सु./सम/अनु-2/97 दिनांक 16.01.2013 जारी किया गया है जिसके अनुसार भविष्य में प्रत्येक कार्य दिवस को अपराह्न 2.00 बजे से 3.00 बजे तक का समय जनसुनवाई हेतु अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है तथा इस दौरान जनसुनवाई हेतु अधिकृत अधिकारियों का कार्यालय में उपलब्ध रहना भी सुनिश्चित किया गया है ।


उपर्युक्त परिपत्र की अनुपालना में मुख्यालय स्तर पर समस्त महाप्रबन्धक, एवं प्रबन्धक - प्रभारी एवं शाखा स्तर पर शाखा प्रभारी को प्रत्येक कार्य दिवस पर 2.00 से 3.00 बजे तक अपने कार्यालय में आवश्यक रूप से जनसुनवाई हेतु उपलब्ध रहने हेतु निर्देशित किया जाता है तथा यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस दौरान इस प्रकार से अधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की बैठक का आयोजन नहीं किया जावेगा ।

यदि किन्हीं कारणों से सम्बन्धित अधिकारी मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहते हैं, तो उनके द्वारा उनकी अनुपस्थिति में अन्य किसी अधिकारी को जनसुनवाई हेतु अधिकृत करते हुये आवश्यक रूप से कार्यालय में उपस्थित रहकर जनसुनवाई का कार्य सम्पादित करने का निर्देश दिया जावेगा । उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर यदि आमजन से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो मामले को गम्भीरता से लिया जावेगा ।

आमजन व जन प्रतिनिधियों की सुनवाई के लिये यह भी निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक सोमवार को कोई भी अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में भ्रमण इत्यादि पर नहीं जायेगे, वे पूरे दिन अपने मुख्यालय (पदस्थापित स्थान पर) पर ही रहकर निगम का कार्य सम्पादित करेंगे ।

मुख्य सचिव महोदय से प्राप्त परिपत्र की फोटो प्रति आवश्यक जानकारी व अनुपालना हेतु संलग्न है ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


(अर्जुन राम चौधरी)
कार्यकारी निदेशक

प्रतिलिपि :

1. समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक
2. समस्त अनुभागाधिकारी मुख्यालय
3. समस्त शाखा प्रबन्धक/उपप्रबन्धक (प्रभारी)/सहायक प्रबन्धक (प्रभारी)/आंतरिक अंकेक्षण जोधपुर एवं अजमेर
4. मुख्यालय में मानक परिचालन

c6

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
UDYOG BHAWAN, TILAK MARG, JAIPUR

Ref.No. RFC/RTH-Gen-1/

Dated 24.04.2013

OFFICE ORDER


In continuation of earlier order no. RFC/PA-21(1) 2895 dated 03.12.12 vide which Shri Arjun Ram Chaudhary Executive Director was appointed as Nodal Officer for Right To Hearing Act, the following are nominated as various authorities under provisions of Section 3 of Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 for dealing with the matters as may be received in RFC under the provisions of the above Act:

1. Public Hearing Officer:
 - (a) All the Branch Incharge or the officer discharging the duties of branch incharge are nominated as Public Hearing Officers for RFC under the Act for deciding the applications related with their jurisdiction of Branch Area.
 - (b) All the DGMs at head office or the officer discharging the duties of DGM are nominated as Public Hearing Officers for the matters arising under the purview of the Act and related to their cells & division under their area of operation.
3. First Appellate Authority:

General Manager (Development) of the Corporation is nominated as First Appellate Authority.
3. Second Appellate Authority:

ED of the Corporation is nominated as Second Appellate Authority.

Further may all the concerned officers are to ensure their presence in the respective offices during 2.00 P.M. to 3.00 P.M. on every working day. Generally, the officers should not go on tour on all Mondays and devote time for meeting the visitors for public hearing to redress their problems and provide services mandated by RFC.



(Yaduvendra Mathur)
Chairman & Managing Director